वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 27.08.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, भारत कनेक्ट संवाददाता, तरूणमित्र न्यूज, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 27.08.2025

पीएम आवास के लाभार्थियों के साथ की समीक्षा बैठक

वाराणसी। कुरूहुआ स्थित प्रधानमंत्री आवासीय योजना के प्रांगण में लाभार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए मंगलवार को समीक्षा बैठक की गई। इसमें वीडीए के अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा से लाभार्थियों ने मुख्य रूप से स्ट्रीट लाइटों के न जलने एवं कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था न होने जैसी बुनियादी समस्याओं से संबंधित शिकायतें कीं। अधिशासी अभियंता ने लाभार्थियों की समस्याओं का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्यदायी संस्था को इसका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। ब्यूरो

तरूणमित्र न्यूज–दि0 27.08.2025

वीडीए ने कुरूहुआ में लाभार्थियों के समस्या समाधान के लिए समीक्षा बैठक की आयोजित

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता अरविंद शर्मा ने मंगलवार को कुरूहुआ स्थित प्रधानमंत्री आवासीय योजना के प्रांगण में लाभार्थियों के समक्ष उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की। जिसमें लाभार्थियों द्वारा मुख्य रूप से स्ट्रीट लाइटों के न जलने एवं कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था न होने जैसी बुनियादी समस्याओं से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत की गईं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा लाभार्थियों की समस्याओं का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्यदायी संस्था को इनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

भारत कनेक्ट संवाददाता—दि0 27.08.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी

भारत कनेक्ट संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 (वार्ड- शिवपुर/ सिकरौल) के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी` जोन-1 (वार्ड-शिवपुर/ सिकरौल) के अंतर्गत छेदी पटेल मौजा-होलापुर,संत अतुलानन्द स्कूल के पास,वार्ड-शिवपुर जिला-वाराणसी में प्राधिकरण से बिना अनुमति के किये जा रहे लगभग 800.00 वर्गमीटर में अवैध रूप से प्लाटिंग किये जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत 25 जून 2025 को नोटिस की कार्यवाही करते हुये 25 जुलाई 2025 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित ध्वस्तीकरण आदेश के क्रम में 25 अगस्त 2025 सोमवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम तथा पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी` मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा,अवर अभियंता रोहित कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

न्यायाधीश—दि0 27.08.2025

लाभार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए समीक्षा बैठक सम्पन्न

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता अरविंद शर्मा द्वारा कुरूहुआ स्थित प्रधानमंत्री आवासीय योजना के प्रांगण में लाभार्थियों के समक्ष उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में लाभार्थियों द्वारा मुख्य रूप से स्ट्रीट लाइटों के न जलने एवं कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था न होने जैसी बुनियादी समस्याओं से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत की गईं।अधिशासी अभियन्ता द्वारा लाभार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्यदायी संस्था को इनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।